

प्रति,

मुख्य अभियंता,
महानदी गोदावरी कछार,
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषय:-

बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के विकासखंड-बिलाईगढ़ की जोंक परियोजना अंतर्गत जोंक वितरक शाखा नहर का जीर्णोद्धार, 02 नग डी.सी. निर्माण तथा चिचोली माईनर का निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- प्रमुख अभियंता का पत्र क्र.-219/बो.प्र./प्रशा.स्वी./2019/12676, दिनांक 03.10.2019.

—00—

राज्य शासन एतद् द्वारा बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के विकासखंड-बिलाईगढ़ की जोंक परियोजना अंतर्गत जोंक वितरक शाखा नहर का जीर्णोद्धार, 02 नग डी.सी. निर्माण तथा चिचोली माईनर का निर्माण कार्य हेतु लागत राशि रु. 2466.19 लाख (रुपये चौबीस करोड़ छियासठ लाख उन्नीस हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति नाबार्ड से स्वीकृति उपरान्त कार्य प्रारंभ करने की शर्त पर प्रदान करता है।

2. प्रस्तावित कार्यों के उपरांत योजना की रूपांकित सिंचाई (8586 हेक्टेयर) में 1150 हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति तथा 400 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सहित कुल 8986 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है।

3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।

4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।

5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-75, जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं, लेखाशीर्ष-4700-वृहद सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, [07]-जोंक परियोजना, {800}-अन्य व्यय, 0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं, (सामान्य), (5516)-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड), #26 वृहद निर्माण कार्य, 005 बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।

6. वित्त विभाग द्वारा उनके जावक क्र.-1483/बजट-2/वित्त/चार/2021, दि. 24.03.2021 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।

8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।

9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

[Signature]
25/03/2021